COURT NOTICE

In The Court Of Tarjani Judicial Magistrate First Class, Amritsar

Sandeep Handa
Vs.
Ankit Gupta

CNR NO: PBAS03-018440-2019
Next Date: 15-07-2025
Publication Issued To: Ankit Gupta : S/o Bhushan Rai R/o EP-1170 kanak mandi dhaal wali gali jammu

In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 15-07-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Amritsar

Judicial Magistrate First Class
Amritsar

फार्म नं. आइएनसी–26

[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना

केंद्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 उप नियम(5) खंड (ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 की धारा (4) के विषय में।

तथा

सालासर रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, CIN : U45400DL2008PTC293116 जिसका पंजीकृत कार्यालय 55, द्वितीय तल, लेन- 2, वेस्टेंड मार्ग, सैदुल्लाजाब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास, गदाईपुर, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली- 110030 पर है।

.....याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें शुक्रवार, 02 मई, 2025 को आयोजित कंपनी के सदस्यों की असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है, ताकि कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय "एनसीटी दिल्ली से "झारखंड राज्य" में बदलने में सक्षम बनाया जा सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते "बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति आवेदक कंपनी के ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है।

हिते एवं कृते
सालासर रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
वेदांत अग्रवाल
निदेशक
डीआईएन: 10295330

तिथि: 18.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म नं. आईएनसी–26
सूचना

केंद्र सरकार, माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013,कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (समामेलन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

तथा

प्रिज्मबेरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी (CIN: U72900DL2019PTC357814) जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 4/55, रूप नगर, तीसरी मंजिल, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली 110007 में है,के मामले में।

.....(**आवेदक**)

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षेत्र) दिल्ली" से "तेलंगाना राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 12जून, 2025 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते: बी-2 विंग, 2 रा तल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:

प्रिज्मबेरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U72900DL2019PTC357814
4/55, रूप नगर, तीसरी मंजिल, उत्तरी दिल्ली, दिल्ली, भारत 110007 फोन: +91-9350039999,
ईमेल: **info@prismberry.com**

आवेदक की ओर से और उसके लिए
प्रिज्मबेरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./
मनोज कुमार यादव
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन: 02008659

दिनांक: 18.06.2025
स्थान: नई दिल्ली

ब्लू ओशन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: के–28, 1ली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली–110049
CIN: U45200DL2007PTC158774

फॉर्म संख्या INC-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केंद्रीय सरकार/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

ब्लू ओशन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय के-28, पहली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में है

आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पश्चिम बंगाल राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 11 जून, 2025 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्रीय सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (**www.mcs.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करें या उसके पंजीकृत कार्यालय के-28, पहली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-II, नई दिल्ली-110049 में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति "क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003" में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता की ओर से और उसके लिए
एस. हरीश तोशनीवाल
निदेशक
डीआईएन: 00060722

दिनांक: 18 जून, 2025
स्थान: नई दिल्ली

motilal oswal Home Finance

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमुल्लाह सयानी मार्ग, परेल एसटी डिपो के सम्मुख, प्रभादेवी, मुंबई – 400 025, सीएस : 8291889898
वेबसाइट : www.motilaloswalhf.com, **ईमेल** : hfquery@motilaloswal.com

DEMAND NOTICE

(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत)

अधिनियम के तहत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (एमओएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना(ओं) में उल्लिखित संबंधित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता/गण मांग सूचना(ओं) की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए सूचना की सेवा नियमावली के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन द्वारा प्रसारित की जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु यहां इसमें निम्न तालिका में दी गई है :

क्र. सं.	ऋण अनुबंध सं./ उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम / सह–आवेदक का नाम / गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	**LXMOFARIDA721-220626361 / उधारकर्ता : अजय कुमार टेक नारायण सिंह, सह–उधारकर्ता : गुड्डी कुमारी अजय कुमार**	09–06–2025 / रु. 16,87,675/– (रुपये सोलह लाख सत्तासी हजार छह सौ पिचहत्तर मात्र)	प्लॉट नंबर बी–2/27 एफएफ 1 प्रथम तल डीएलएफ अंकुर विहार अंकुर विहार शिव मंदिर के समीप लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश– 201102

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक नियत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ सूचना में और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एमओएचएफएल एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के समक्ष एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहता है, तो एमओएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें निम्नलिखित अधिकार भी शामिल हैं– कि यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके और भुगतान प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है। एमओएचएफएल को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, यदि गिरवी संपत्तियों का मूल्य एमओएचएफएल को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो एमओएचएफएल को शेष बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एमओएचएफएल के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता कि और आगे अधिनियम की धारा 13(13) जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या उसके साथ व्यवहार करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया गया है व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम) एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनाँक : 18–06–2025

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,
(मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड)

newgen

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ई–44/13 ओखला फेज़–II, नई दिल्ली–110020, भारत
ई–मेलः investors@newgensoft.com यूआरएलः https://newgensoft.com
फोनः (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,
फैक्सः (+91)-11-2638 3963

विडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाने वाली 33वीं वार्षिक आम बैठक, रिकार्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

कंपनी के सदस्यगण कृपया नोट करें कि

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर 2024 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी। 33वीं एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी। 33वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों और उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर भेजी जाएंगी।
3. वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।
4. सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं जिसका ब्यौरा एजीएम की सूचना में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

ई–मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया

5. डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके अपना ई–मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत/अपडेट कराएं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर–1 उपलब्ध कराकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं। सदस्यगण फोलियो नम्बर, सदस्य का नाम एवं पता, पैन, ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर आदि सहित सभी विवरण दर्शाते हुए हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर–1 की प्रति के साथ कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं।
6. भौतिक प्रारूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट को अपडेट नही किया है वे हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर–1 को निर्धारित दस्तावेजों के साथ कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत करा सकते हैं।
7. विकल्पतः सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग निर्देश भेजने के लिए अपना ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्व–सत्यापित प्रति एवं इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी के साथ einward.ris@kfintech.com या investors@newgensoft.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया

8. कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा (रिमोट ई–वोटिंग) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

अंतिम लाभांश

9. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 5 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात् रु. 10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य पर 50 प्रतिशत) अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 18 जुलाई, 2025 निर्धारित की है। सेबी परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 (बाद में परिपत्र 14 दिसंबर 2021, दिनांक 16 मार्च 2023 और दिनांक 17 नवंबर 2023 और मास्टर परिपत्र दिनांक 7 मई 2024 द्वारा संशोधित) के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से सिक्योरिटी होल्डरों (भौतिक प्रारूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले) को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान केवल पैन, नामांकन का विकल्प, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा
10. आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के अनुसार लाभांश आय सदस्यों की तरफ कर योग्य है और कंपनी को आईटी एक्ट में निर्धारित अनुसार सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती ("टीडीएस") काटना आवश्यक है। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीपी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को वर्णित और/या अपडेट करें या यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो कंपनी/रजिस्ट्रार के पास पहले नामित सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रतियों को ई–मेल einward.ris@kfintech.com पर भेजें। इसकी विस्तृत प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance. पर उपलब्ध है।
11. यह सार्वजनिक सूचना एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/–
अमन मौर्या
कंपनी सचिव

दिनांकः 17.06.2025
स्थानः नई दिल्ली

STL FASTENERS

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड

सीआईएन नं.: **L29222DL1979PLC009668**
पंजीकृत कार्यालयः डीजे–1210, 12वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर बी, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 4, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, फरीदाबाद–121003
ई–मेलः **csec@stlfasteners.com**, वेबसाइटः **www.stlfasteners.com**
टेलीफोनः 91129 2270621–25/फैक्सः 91129 2277359

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

यह सूचना कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम 2016, ("आईईपीएफ नियम") के साथ दी जाती है, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाता है, कंपनी को उन शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण) के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध में लाभांश 7 (सात) या अधिक लगातार वर्षों की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किया गया हो।

ऐसे शेयरधारकों की सूची, जिन्होंने 11 अगस्त 2018 को घोषित वित्तीय वर्ष 2018–2019 (अंतरिम) से लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश को भुनाया/दावा नहीं किया है और जिनके इक्विटी शेयर 18 सितंबर 2025 को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित होने वाले हैं, कंपनी की वेबसाइट www.stlfasteners.com पर निवेशक कॉलम के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त संचार में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज़ों को 1 सितंबर 2025 तक या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भेज दें ताकि दावा न किए गए लाभांश का दावा किया जा सके। डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए, कृपया अपने डीमैट खाते में अपना बैंक विवरण अपडेट करें और अनुरोध पत्र के साथ इसकी एक प्रति आरटीए को भेजें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए, कृपया फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म सं. SH 13 (नामांकन फॉर्म) को संबंधित सहायक दस्तावेजों, शेयरधारक के नाम का मूल रद्द चेक और संयुक्त नाम सहित शेयरधारक(ओं) के पैन की प्रति के साथ उसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर आरटीए (अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी–34 द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–II, नई दिल्ली 110020) को भेजें। यदि आपके फोलियो नंबर में आज की तारीख तक शेयर नहीं हैं, तो कृपया केवल अनुरोध पत्र, फॉर्म ISR-2 और मूल रद्द चेक भेजें।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार डीमैटरियलाइजेशन और शेयरों के आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे जारी होने पर, कंपनी नए शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करने और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर–परक्राम्य माना जाएगा और डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी आईईपीएफ नियमों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्रवाई करेगी और शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

यदि कंपनी को 1 सितंबर 2025 तक संबंधित शेयरधारक(ओं) से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियत समय में शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने की कार्यवाही करेगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर होने वाला सभी आगे का लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को हस्तांतरित नहीं करेगी जहां न्यायालय/न्यायाधिकरण का कोई विशिष्ट आदेश हो जो ऐसे शेयरों के किसी हस्तांतरण पर रोक लगाता हो या जहां शेयरों को डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत परिकल्पित/ गिरवी रखा गया हो।

कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश की राशि और आईईपीएफ में स्थानांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयर, एक बार आईईपीएफ में स्थानांतरित हो जाने के बादए, आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद (ई–फॉर्म–1आईईपीएफ–5 दाखिल करने के बाद) आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है।

शेयरधारक यह भी नोट करें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

उपरोक्त पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को csec@stlfasteners.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, यूनिटः स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड, टी –34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज –11, नई दिल्ली –110 020, फोनः 011–26387281/82/83, फैक्सः 011–26387384, ईमेलः investor@masserv.com से संपर्क कर सकते हैं।

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
(पंकज गुप्ता)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17 जून, 2025

Mahindra FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई– 400 001 कॉर्पोरेट कार्यालयः बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पीरामल अमिति बिल्डिंग, सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला पश्चिम मुंबई– 400 070

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

जबकि आप नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कॉलम नंबर 1 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता /गारंटर / बंधककर्ताओं को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तिथि और डिमांड नोटिस की तिथि	रुपये में देय राशि ..../– के अनुसार
1.मेसर्स अनन्या फुटवियर (उधारकर्ता) **2.श्री नंद किशोर** (सह–उधारकर्ता 1) **3.श्रीमती इंद्रा वती** (सह–उधारकर्ता 2)	**स्वीकृति पत्र संदर्भ संख्या MMFSL/SME/RE/9418482/23–24/01 दिनांक 21.09.2023 ऋण संख्या/ अनुबंध संख्या ISBLREP23395830** ऋण राशि:रु.20,75,024/–(बीस लाख पचहत्तर हजार चौबीस रुपये मात्र)	बंधक अचल संपत्ति का विवरणः मद संख्या–1– नगर निगम संख्या 46/98आर/17बी वाले मकान का सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश, जिसकी माप 79.04 वर्ग मीटर है,खसरा नंबर 228, भीम नगर, लोहामंडी वार्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282002 में स्थित प्लॉट नंबर 5 और 6 के हिस्से पर निर्मित है। इस प्रकार सीमाबद्ध : पूर्व की ओर या उससे आगेः पप्पू का मकान। पश्चिम की ओर या उससे आगेः 10 फीट चौड़ी सड़क। उत्तर की ओर या उससे आगेः अन्नू, टिंकू और गब्बर का मकान। दक्षिण की ओर या उससे आगेः हरी बाबू और हरीश चंद और अन्य का प्लॉट।	**एनपीए की तिथि:** 08.06.2025 **डिमांड नोटिस की तिथि:** 13